क्रम-संख्या —183(घ)

रजिस्टर्ड नं० यू० पी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—4

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 मार्च, 1986

फाल्गुन 28, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 663/सत्रह–वि–1–1(क) 7–1986

लखनऊ, 19 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 18 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य क सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 4 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1910 की धारा 39 का प्रतिस्थापन

2—भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"39—(1) जो कोई—

ऊर्जा की चोरी के लिए शास्ति

(क) धारा 26 में निर्दिष्ट मीटर के माध्यम से अन्यथा, या

(ख) ऐसे मीटर या उसकी सील या यंत्र या सर्किट में हेर-फेर करके, या

(ग) ऐसे मीटर की क्रिया में बाधा डालकर या हस्तक्षेप करके, या

(घ) विद्युत् प्रदाय लाइन के फ़ेज को छल-साधन द्वारा परिवर्तित करके, या

(ङ) धारा 26 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी मीटर, सूचक या यंत्र में छल-साधन द्वारा, या

(च) किसी वियोजित संयोजन से, या

(छ) किसी भी अन्य उपाय से,

किसी ऊर्जा को बेईमानी से निकालता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है या लेता है या इस प्रकार बेईमानी से निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है या प्रयत्न करता है, वह जुर्माना से दण्डित किया जायगा और कारावास से भी, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा :

परन्तु ऐसे मामले में :—

(क) जहां 7.46 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो या प्रयत्न किया गया हो, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना 500 रुपये से कम नहीं होगा, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में अधिरोपित जुर्माना 2,000 रुपये से कम नहीं होगा;

(ख) जहां 7.46 किलोवाट से अधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो या प्रयत्न किया गया हो, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना 2,000 रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास जिसकी अवधि छः मास से कम न हो, के साथ जुर्माने का, जो 10,000 रुपये से कम न हो, दण्ड दिया जायगा ।

(2) इस प्रकार निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए या, जैसी भी स्थिति हो, उसके लिए प्रयत्न करने के लिए किसी साधन का विद्यमान होना, ऊर्जा को बेईमानी से निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने का प्रथम-दृष्टया साक्ष्य होगा ।

(3) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी परिसर, यान, जलयान या किसी अन्य स्थान में किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, वहां वह ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, किसी भी समय—

(क) ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसे साधन का अभिग्रहण कर सकता है जो ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में पाया जाय;

(ग) ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान के स्वामी, अधिभोगी या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से किसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में, उपधारा (1) के अधीन अपराध के सम्बन्ध में किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो;

(घ) किसी लेखा-बही या दस्तावेज का परीक्षण या अभिग्रहण कर सकता है जो उसकी राय में, उपधारा (1) के अधीन अपराध के सम्बन्ध में किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा-बही या दस्तावेज अभिगृहीत किया जाय, अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने देगा।"

धारा 40 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात् :—

"40—जो कोई ऊर्जा को विद्वेषतः बर्बाद करायेगा या पथान्तरित करवायेगा अथवा ऊर्जा के प्रदाय को काट देने के आशय से किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म को काटेगा या हानि पहुंचायेगा या काटने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायगा और कारावास से भी, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा :

विद्वेषतः ऊर्जा को बर्बाद करने या संकर्मों को हानि पहुंचाने के लिये शास्ति

परन्तु द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास, जिसकी अवधि तीन मास से कम न हो, के साथ जुर्माने का जो पांच सौ रुपये से कम न हो, दण्ड दिया जायगा।"

धारा 44 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 44 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने का दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा,"

नई धारा 49-ख का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 49-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"49-ख—धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"

कतिपय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे

निरसन और अपवाद

6—(1) भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 663 (2)/XVII-V-1—1(KA)-7-1986

Dated Lucknow, March 19, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Vidyut (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1986, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 18, 1986.

THE INDIAN ELECTRICITY (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1986

[U. P. ACT NO. 8 OF 1986]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the Indian Electricity Act, 1910 in its application to Uttar Pradesh

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1986.

Short title, extent and commencement

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 4, 1986.

Substitution of section 39 of Act no. 9 of 1910

2. *For* section 39 of the Indian Electricity Act, 1910 hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Penalty for theft of energy

"39. (1) Whoever dishonestly abstracts, consumes, uses or draws, or abets or attempts such dishonest abstraction, consumption, use or drawal of, any energy—

(*a*) otherwise than through a meter referred to in section 26; or

(*b*) by tampering with such meter or its seals, or apparatus, or circuits; or

(*c*) by obstructing or interfering in the functioning of such meter; or

(*d*) by manipulating change of phase of the electric supply lines; or

(*e*) by manipulating any meter, indicator or apparatus referred to in sub-section (7) of section 26; or

(*f*) from a disconnected connection; or

(*g*) by any other means whatsoever shall be punished with fine and shall also be liable to imprisonment for a term which may extend to three years :

Provided that in a case where the load abstracted, consumed, used or drawn or abetted or attempted to be abstracted, consumed, used or drawn—

(*a*) does not exceed 7.46 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than Rs. 500 and in the event of second or subsequent conviction the fine imposed shall not be less than Rs. 2,000;

(*b*) exceeds 7.46 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than Rs. 2,000 and in the event of second or subsequent conviction the sentence shall be imprisonment for a term not less than 6 months with fine not less than Rs. 10,000.

(2) the existence of any means for such abstraction, consumption, use or drawal shall be *prima facie* evidence of such dishonest abstraction, consumption, use or drawal of energy or, as the case may be, an attempt therefor.

(3) without prejudice to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to search and seizure where a licensee or any person authorised by it has reason to believe that any offence under sub-section (1) has been, or is being or is about to be committed in any premises, vehicle, vessel or other place, he may with such assistance, if any, as he thinks fit, at any time :—

(*a*) enter, inspect and search such premises, vehicle, vessel or other place and may use such minimum force as may be necessary for the purpose;

(*b*) seize any means referred to in sub-section (2) which may be found in such premises, vehicle, vessel or other place;

(*c*) require the owner, occupier or any other person incharge of such premises, vehicle, vessel or other place to produce any books of accounts or other documents or furnish such information as may, in his opinion, be useful for or relevant to any proceedings in respect of the offence under sub-section (1);

(*d*) examine or seize any books of account or documents which in his opinion shall be useful for or relevant to, any proceedings in respect of the offence under sub-section (1) and allow the person from whose custody such books of accounts or documents are seized to make copies thereof or take extracts therefrom in his presence."

3. *For* section 40 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of section 40

"40. Whoever maliciously causes energy to be wasted or diverted, or, with intent to cut off the supply of energy, cuts or injures, or attempts to cut or injure, any electric supply line or works, shall be punished with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to five thousand rupees and shall also be liable to imprisonment for a term which may extend to three years : Penality for maliciously wasting energy or injuring work

Provided that in the event of second or subsequent conviction the sentence shall be imprisonment for a term not less than three months with fine not less than Rs. 500."

4. In section 44 of the principal Act, *after* clause (*d*), the following clause shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 44

"(*e*) abets or attempts any of the acts referred to in the preceding clauses;"

5. *After* section 49-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 49-B

"49-B. Any offence under section 39 or section 40 shall be cognizable and non-bailable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973." Certain offences to be cognizable and non-bailable

t no. 2 of 1974

.P. Ordinance no. 1 of 1986. 6. (1) The Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 304 सा0 (विधा0)––(3992)–1986–850 (मेक0)।